[श्री सत्यपाल मालिक]

सवालात होते है उसमें जो अपोजीशन के लोग कायदे की बातें कहते हैं वह अखबारों और रेडियो में नही आतीं । जो झगड़ा होता है, तू-तड़ाक होती है, गाली गलौच होती है उसको पब्लिसिटी मिलती है । उपसभापति जी, मेरा एक कांक्रीट सजेशन है...

श्री उपसभापति : आप ने सुझाव दिया...

श्री सत्यपाल मलिक : मैं आप की व्यवस्था चाहता हूं । अब सदन में जितना रेडियो जका कवरेज है, सदन की कार्यवाही का और अखबारों में जो आता है उसको मान्यवर, सदन की एक कमेटी या बिजेनेस एडवाइजरी कमेटी देखे और अपोजीश के लोग जो कायदे की बातें कहते हैं वह देखें कि वे कितनी छपती हैं...

श्री उपसभापति : आप बैठिये और दूसरा कार्य आने दीजिए । इस बारे में आप चेयरमैन साहब से मिलिये । यह प्रश्न बहुत महत्व का प्रश्न है और व्यापक प्रश्न है मैं इससे इन्कार नहीं करता और जो कुछ हाउस में होता है या जो बातें यहां कही जाती हैं उनकी प्रेस में या कहीं भी फेयर रिपोर्टिंग होती है । इसलिये अगर कोई शिकायत है आपको तो चेयरमैन साहब से आप मिलिये (*Interruptions*) एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए । (*Interruptions*) मैं इस समय निवेदन करूंगा कि कृपया कालिंग अटेंशन होने दीजिए । विदेश मंत्री जी का स्वास्थ्य शायद अच्छा नहीं है इसलिये मैं समझता हूं (*Interruptions*) आपकी बात बाद में सुनी जा सकती है । अब आप सरकार की बात करने लगे (*Interruptions*) आप बैठिये ।

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

Reported Racial Discrimination and Harassment of the people of Indian Oricin and Indian Immigrants in U.K.

SHRI RAMANAND YADAV (Bihar): Sir, I call the attention of the Minister of External Affairs to the reported racial discrimination and harassment of the people of Indian origin and Indian immigrants in U.K.

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI P. V. NARASIMHA RAO): Mr. Deputy Chairman, Sir, more than half a million people of Indian origin live in Britain. Most of them have made their homes and hearths there. People of Indian origin in Britain have made a significant contribution to that country. This has been acknowledged on several occasions by leading British personalities.

Also a large number of Indian visitors go to U.K. In 1979 the number of visitors was more than 1,80,000. Despite the large numbers involved, the Government of India tries to do all it can to help in the difficulties which the immigrants and visitors may at times face.

There are reports of harassment of Indians on arrival in Britain. The attitude of the Customs and Immigration officials is said to be one of suspicion, sometimes also rude and unsympathetic. We have talked to the British authorities at various levels about this matter and have been assured that they would investigate any specific cases brought to their attention.

The Acting High Commissioner of India in London visited the Heathrow Airport in June, 1980 and discussed the matter with the British officials. It was agreed that if and when the Inian High Commission referred to the British officials a case of harassment on arrival, the latter would

consider it at high level. Our High Commission is vigilant. Any incident such as the detention and deportation of Shri Romesh Chandra or of difficulties faced by an amateur drama troupe from Pune recently at the customs is promptly brought to the notice of the British Foreign Office for investigation and redressal.

The number of actual refusals of permission to enter Britain is small, the percentage being less than one.

Sir hon. Members have on occasions raised the question of racial incident in Britain. Perhaps, the biggest in recent years was the Southhall incident of last year. Government is not aware of any perceptible increase in such incidents. It may also be kept in mind that if in any case a person of Indian origin is affected, it might not be due only to racial reasons but neighbourhood tensions or personal quarrels. However, the Government is aware that there are certain groups of political parties in Britain which are avowedly anti-immigrant and racist. One of them is the National Front; another is a Neo-Nazi group called the British Movement. Both are rival bodies. These parties do on occasion take out processions and are known to write anti-immigrant slogans on houses or in public places. However, their number is small. The National Front took part in the last elections of May, 1979 but did not win any seat. According to our information, the demonstrations staged by such groups are often met by even stronger counter-demonstrations not only by immigrants but also by the British themselves. Police control is generally adequate. Government recognises the fact that the task of controlling racial tensions rests with the British Government. However, our concern has invariably been expressed at various levels about such incidents.

Sir, there has been a reference to racial discrimination. Last year we came to know of virginity tests carried out on women from the sub-continent wanting to enter Britain for marriage and vigorously protested against them. I am glad to say that the British Government announced that the tests were discontinued and expressed regret over their occurrence. There has been concern expressed over X-raying of boys and girls to determine their age for deciding admissibility for settlement in Britain. We have been in touch with the British authorities. We have been informed that these tests have not been carried out on persons below the age of 13 and are usually conducted for the age group of 16 to 22. These tests, we are told, are performed with due precautions only when they are necessary for determining the age, which impinges upon the applicability to such people of certain British Immigration regulations. We are waiting to see the report on the subject by Sir Henry Yellowlees, the Chief Medical Officer commissioned by the British Government. Here, Sir, I would like to add that in today's newspapers we have got some news, namely, that in the British Parliament, the Home Secretary has made a statement which may helps solve this problem to some extent. We are not quite sure about all the details. We are calling for details. But what he has said is contained in the following:—

> The British Home Secretary announced in the House of Commons on the 15th December, 1980, that in principle all immigrants coming for settlement will be required to pass a medical examination in their country of origin. Further, entry into U.K. of the spouses and dependent children of those settled there will not be dependent on the passing of a medical examination.

Now this might mean that there is no X-ray being insisted upon, or this might mean that in some cases there can be an X-ray insited upon. This will have to be checked up. We are trying to get all the details This is the position.

We come across reports of discrimination as regards job opportunities

[Shri P. V. Narasimha Rao]

for people of Indian origin in Britain. A recent report of the Commission for Racial Equality, London which was carried by the Indian Press last month, cited cases where Asians or Africans of sufficient qualifications were often not given jobs which go to the Whites. A certain amount of psychological discrimination can, therefore, be said to exist though the British Government is anxious to maintain racial harmony, which cannot be brought about without racial equality.

The British Government has recently published a White Paper containing proposals for a new British Nationality Law. Some provisions of this proposed new legislation could adversely affect persons of Indian origin as well as persons from some other Commonwealth countries. Our concern regarding these provisions has been conveyed by our High Commissioner to the Home Secretary of the British Government. The proposed legislation is before the British Parliament. It is for the British Parliament in its wisdom to cosider the pros and cons of these proposals in all aspects Like all other laws, the British Immigration and Nationality Laws are a matter for the British Government and Parliament to determine and decide.

May I, Mr. Deputy Chairman, reiterate that the Government of India will continue to make all possible efforts so that people of Indian origin who are settled in U.K. live with honour and dignity and those Indians who would like to visit Britain for business or holiday purposes do not face difficulties or harassment. We should, however, avoid over-reaction, especially on reports of minor incidents and one-sided accounts. It is also pertinent that British Immigration regulations are not applied exclusively to people of Indian origin but to prospective immigrants from various other countries as well,

In conclusion, I would like to assure the House once agains that the Government will continue to take up genuine cases of racial discrimination or harassment of our countrymen for early appropriate action

Thank you, Sir.

श्री रामानन्द यादव : उपसभापति जी, दुख के साथ कहना पड़ता है कि पाकिस्तान, बंगलादेश और भारत के वासी हैं और जिन्हें और जो इंगलैंड में हैं उन के साथ किस तरह से जाति-भेद की नीति इंगलैंड की सरकार के द्वारा अपनाई जा रही है। अभी आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि पूरे नवम्बर महीने तक इंगलैंड में भारतीय उपमहाद्वीप से जाने वाले बच्चों का एक्सरे होता रहा यह जानने के लिये कि उनकी उम्र क्या है और उस उम्र को जान कर इस निर्णय पर पहुंचेंगे कि उन्हें इंगलैंड मे रहने का अधिकार है या नही। इस नीति का विरोध वर्ल्ड हेल्थ आर्गेनाइजेशन ने भी किया, इंगलैंड की मेडिकल एसोसिएशन ने भी इसका विरोध किया। मेडिकल प्रोफेशन की सारे वर्ल्ड की जो संस्थाएं हैं उन्होंने भी इसका विरोध किया और यह कहा कि यह पद्धति मान्य नही है। पालिटिकल और लेजिस्लेटिव मैटर के लिये एक्सरे का प्रयोग नही किया जा सकता...एक्सरे का प्रयोग केवल मेडिकल परपज के लिये किया जाना चाहिए न कि पालिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव परपज के लिये। फिर भी इंगलैंड की सरकार ने इस नीति को अपनाये रखा। पिछले साल वहां पर पालियामेन्ट में लेबर मेम्बर ने कहा कि भारतीय उपमहाद्वीप से आने वाले बच्चों का जो एक्सरे होता है उससे उन्हें केंसर होने की संभावना है क्योंकि एक्सरे होने से उनकी बोन में डिफेक्ट होने और केंसर होने की पूरी संभावना है। लेबर पार्टी के मेम्बर ने पार्लियामेंट में यह बात भी कही कि भारतीय उपमहाद्वीप से आने वाले लोगों के साथ जिस तरह का व्यवहार किया जा रहा है वह अच्छा नही है। जैसा कि मंत्री जी ने बताया

है, वहां पर दो दल हैं। एक ब्रिटिश मूवमेन्ट है जो एन्टी ज्यूज है ग्रौर नाजी टाइप का है ग्रौर उसने नेशनल फ्रन्ट को भी पोपुलेरिटी में बीट किया है। नेशनल फ्रन्ट मि० पोल की लीडरशिप में चलता ग्रा रहा है। ये लोग चाहते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप के इम्मीग्रेन्ट्स को इंगलैण्ड में निकाला जाये। नेशनल ब्रिटिश मूवमेन्ट के लोगों ने खासकर उन एरियाज में जुलूस निकाला जहां पर भारतीय उपमहाद्वीप के लोग रहते हैं। इन लोगों ने भारतीय, पाकिस्तानी ग्रौर बंगलादेश से ग्राए हुए लोगों के घरों पर गन्दे स्लोगन लिखे। एक भारतीय महिला की कार के बोनट पर गन्दा स्लोगन लिख दिया गया ग्रौर यह लिखा कि तुम डोग हो, यहां से चले जाग्रो। जब यह बात ब्रिटिश पार्लियामेन्ट में उठाई गई तो हाउस के स्पीकर ने कहा कि इस मामले पर सारा हाउस एजीटेट है, लेकिन मै इसको एलाउ नहीं करूंगा। उन्होंने इस मामले को रिजेक्ट कर दिया। उस समय कल्हन की सरकार वहां पर थी। उस सरकार ने एक कमीशन नियुक्त किया। मि० हैनरी की ग्रध्यक्षता में जो एक मेडिकल ग्राफिसर हैं, यह कमीशन नियुक्त किया गया। उस कमीशन ने रिपोर्ट दी कि मेडिकल पाइन्ट ग्राफ व्यू से ग्रौर ग्रन्य दूसरे पाइन्ट ग्राफ व्यू से ग्रौर ग्रनेक देशों में इस वक्त जो मेडिकल साइंस है उसके ग्राधार पर यह पद्धति ग्रच्छी नहीं है। लेकिन उस रिपोर्ट को भी इंगलैण्ड ने दबाये रखा। उस वक्त की ब्रिटिश सरकार में जो फारन सेक्रेटरी थे श्री डेविड, उन्होंने ग्रपना एक निजी ग्रादमी हिन्दुस्तान में इस बात की जांच करने के लिए भेजा कि इस काम के लिए क्या पद्धति ग्रपनाई जाये ग्रौर क्या एक्सरे करने से भारतवर्ष में, पाकिस्तान में ग्रौर बंगलादेश में इंगलैण्ड के रिलेशन्स में कोई खराबी ग्रा सकती है। उस ग्रादमी ने यह रिपोर्ट दी कि इस पद्धति से इंगलैण्ड ग्रौर इन देशों के संबंधों में दुराव ग्रा सकता है ग्रौर इससे इंगलैण्ड की प्रतिष्ठा भारतीय उपमहाद्वीप में गिरेगी। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने मि० हैनरी ग्रौर उस ग्रादमी की रिपोर्टस को प्रकाशित नहीं किया। हैनरी ने लिखा था कि यह पद्धति बहुत ही खराब है।

जहां तक जोब ग्रपोरचुनिटीज का सवाल है, वहां पर एक डा० शर्मा हैं। उन्होंने डाक्टरी की 32 जगहों के लिए एप्लाई किया। लेकिन 32 बार एप्लाई करने के बाद भी उन्हें मेडिकल कंसलटेन्ट की पोस्ट के लिए नहीं लिया गया। उन्हें ग्रभी तक कोई भी जोब नहीं मिला है। एक ट्राइब्यूनल के पास भी उन्होंने पेटीशन दिया हुग्रा है।

श्री उपसभापति : कृपया ग्राप प्रश्न पूछिये। ग्रगर सब लोग इस तरह से ग्राब्जरवेशन्स में लग जाएंगे तो फिर इस विषय पर बहुत समय लग जाएगा।

श्री रामानन्द यादव : श्रीमन्, मेरा कहना यह है कि भारतीय ग्रोरिजन के जो पैसेंजर्स होते हैं उन्हें इंगलैण्ड पहुंचने पर बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

श्री उपसभापति : ग्राप प्रश्न पूछिये।

श्री रामानन्द यादव : ग्राप मुझे कम से कम 10 मिनट तो दीजिये।

श्री उपसभापति : 10 मिनट तो बहुत हो जाएंगे। 10 मिनट में तो पूरा भाषण हो जाता है। इसलिए ग्रब ग्राप प्रश्न पूछिये। ग्रगर ग्राप ऐसा करेंगे तो मुझे दूसरे सदस्यों के साथ भी ऐसा ही करना पड़ेगा।

श्री रामानन्द यादव : चूंकि ग्राप बोल नहीं सकते हैं इसलिए ग्राप दोनों की

[श्री रामानन्द यादव]

हालत यही हो गई है। आप हम लोगों को लेक्चर देते रहते हैं... (*Interruptions*)

श्री उपसभापति : अब आप प्रश्न पूछिये।

श्री रामानन्द यादव : श्रीमन्, लेबर गवर्नमेंट के समय से ही यह प्रेक्टिस चल रही थी। आज भी थैचर गवर्नमेन्ट जो कि रेसियस्ट गवर्नमेन्ट है इस आन्दोलन को स्वतः चला रही है, उसको प्रोत्साहित कर रही है। लेबर गवर्नमेंन्ट जब बनी थी उसने भारत को यह आश्वासन दिया था कि वर्जेनिटी टेस्ट जो है वह गलत काम होगा और वह वर्जीनिटी टेस्ट नहीं करेंगे, एक्स रे टेस्ट नहीं करेंगे। लेकिन यह थैचर गवर्नमेंट जो है वह आज भी वहां जो यह मूवमेंन्ट चल रहा है उसको मदद दे रही है। मैं यह चाहता हूं कि भारत की सरकार को भी इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करनी चाहिए। मुझे याद है 1956 में दक्षिण अमेरिका के रेसिकल डिसक्रिमिनेशन को लेकर इसी पार्लियामेन्ट में लोक सभा के अन्दर पंडित जवाहरलाल नेहरू एक प्रस्ताव लाये थे हमें भी आज इस तरह के डिसक्रिमिनेशन को लेकर जो खुले आम जाब में, मेडिकल में है और वहां जो हमारे बड़े-बड़े वी० आई० पी० विजिटर जो जाते है उनको एयरपोर्ट पर घंटों रोक लेते है, उनकी तलाशी ली जाती है और सड़कों पर चलते आये दिन मार-पीट होती है, यही नहीं आज सैकड़ों हजारों आदमी ब्रिटिश जेल में बन्द है। जो झगड़े वहां होते है वे पोलिटिकल टाइप के झगड़े हैं, कोई प्रापर्टी आदि के झगड़े नहीं। वहां पर भारतीयों को अपमानित किया जाता है। मंत्री जी को मालूम होना चाहिए कि आज हजारों आदमी इगलैंड की जेलों में पड़े हुए है। मैं चाहूंगा कि लोक सभा में एक प्रस्ताव इस तरह का आना चाहिए कि इस तरह का जो डिसक्रिमिनेशन इंगलड में हो रहा है उसकोकंडेम किया जाये। नेहरू जी ने इसी तरह की घटना को 1956 में कंडेम करवाया था। जहां तक हमारे हाई कमीशन का सवाल है, जितने भी यूरोप में हमारे हाई कमीशन हैं, दूतावास है, सबसे अधिक इमप्लाईज ब्रिटिश हाई कमीशन में हैं और सबसे अधिक खर्चा इंगलैंड के हाई कमिश्नर के आफिस में होता है। लेकिन वे भारतीयों की कोई सेवा नहीं कर पाते है। अगर वहां भारतीय उपमहाद्वीप में रहने वाले लोगों की राय ली जाये तो वे एक स्वर से कहेंगे कि कि भारतीय दूतावास जो इंगलैंड में है, वे हमारा छोटा सा भी काम नहीं करते हैं वे भारतीयों के इन्टरेस्ट की रक्षा नहीं कर पाते है। सरकार को चाहिए कि वह रिटेलीयेटरी रुख अख्तियार करे। मैं कहना चाहूंगा कि जब तक हम कोई विरोध का रुख नहीं अपनायेंगे तब तक इंगलैंड की सरकार इस तरह की बात नहीं सुनेंगी और खासकर के जब कि थैचर की सरकार है जो कि इस मूवमेन्ट को, खुले आम मदद करती है। ऐसी परिस्थिति में मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि मिस्टर हेनरी की जो रिपोर्ट है और

विशेष दूत के रूप मे फारेन सेक्रेटरी मिस्टर आवन यहां आये थे तो क्या उन्होंने उस रिपोर्ट को भारत सरकार को दिखाया था? मिस्टर हेनरी की रिपोर्ट जो विशेष दूत मिस्टर ओवन साथ लाये थे उसको उन्होंने भारत सरकार को दिखाया था या नहीं?

दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि भारत सरकार क्या कोई रिटेलीयेटरी कोई विरोध की भावना से ऐसे स्टेप लेगी ताकि इंगलड की सरकार को यह महसूस हो कि हम लोग चुपचाप बैठकर मौन होकर नहीं बेठे रहेगे बल्कि उन्हें यह महसूस हो इसके आधार पर वे भी कोई कदम उठा सकते है।

तीसरा प्रश्न मेरा यह है कि क्या सरकार इस बारे म कोई एकानामिक मेजर एडाप्ट करेगी जैसे कि वे हमारे यहां के लोगों पर लगाते हैं वह हमारे यहां के लोगों पर अनेक प्रकार के प्रतिबन्ध लगाती है तो क्या इसी तरह के मैथर्ड जो उनके यहां से आने वाले लोग हैं जो कि करोड़-दो करोड़ की संख्या मे हर साल यहां से रुपया भेजते हैं इंगलैंड में उनके ऊपर कोई प्रतिबन्ध लगाने का विचार करेगी। उन लोगों पर कोई एकानामिक मेजर्स लगाकर हम इंगलैंड को इस बात के लिये आगाह कर सकते है कि अगर हमारे यहां के लोगों को जो वहां काम करते हैं...

श्री उपसभापति : अब समाप्त कीजिये।

श्री रामानन्द यादव : वहां जाने से रोकेंगे तो उनके लोगों का जो बिजनेस यहां है उसका हम नेशनलाइजेशन कर देंगे। तो क्या इस तरह के यह जो तीन मेजर्स मैंने सुझाये हैं इनको भारत सरकार लेने को तैयार है?

SHRI P. V. NARASIMHA RAO: Sir, as I have just stated, past of this problem is likely to be solved by the decision taken by the British Government about which only yesterday a statement was made in the House of Commons by the British Home Secretary.

I am not in possession of all fact as yet. If the House so pleases, after I get all the facts and I am able to judge what exactly has been the decision finally, I am prepared to make another statement giving the latest position.

SHRI MANUBHAI PATEL (Gujarat): Please do that.

SHRI SUNDER SINGH BHANDARI (Uttar Pradesh): Please do.

DR. BHAI MAHAVIR (Madhya Pradesh): Please do.

SHRI P. V. NARASIMHA RAO: At the moment, it appears so uncertain that except for commenting on what the position was yesterday or the day before yesterday, we cannot do anything. So, I would like the House to wait.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Yes. That statement you can make afterwards.

SHRI MANUBHAI PATEL: Please make that statement later.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Satyanarain Reddy. Not here. Yes, Mr. Sunder Singh Bhandari

श्री सुन्दर सिंह भंडारी : उपसभापति महोदय, इस काल अटेंशन में जो ध्यान आकर्षित किया गया है और सरकार तथा सारे हाउस ने भी स्वीकार किया है कि जो भारतीय वहां रहते हैं इंडियन ओरिजन के लोग हैं, उनकी डिगनिटी

[श्री सुन्दर सिंह भंडारी]

और आनर की रक्षा हो सके। हम सब इसमें एकमत हैं। कल ही ब्रिटिश पार्लियामेंट में कुछ अनाऊंसमेन्ट किया गया इसलिए मैं भी इस बात से सहमत हूं कि उसकी डिटेल प्राप्त होने देने तक हमें उसके बारे में एडवर्स कमेंटस नही करने चाहिए। लेकिन मै इतना जरुर जानता हूं कि यह जो सारी इन्क्वायरी शुरु हुई वह स्पेसेफिक प्युबर्जिनिटी टेस्ट का था। मैं खास तौर पर सरकार से यह जानना चाहता हूं कि जो बाकी के टेस्ट हैं खास कर के चेस्ट टेस्ट हुआ करते है उनके बारे में क्या सरकार ने कोई फैसला कर लिया है? उन टेस्ट के बारे में जानकारी प्राप्त करे कि कल के अनाऊंसमेंट में उस चीज का समावेश हुआ या नहीं?

श्री पी० वी० नरसिंह राव: यही मैं कह रहा था। इस में मेडीकल एग्जामिनेशन की बात कही गई है, उसी की तफसील नही है। उसमें एक्सरे है या नही है यह हम पता करेंगे और उसके बाद ही कुछ कह सकेंगे।

श्री सुन्दर सिंह भंडारी: धन्यवाद मैं भी यही चाहता हूं। लेकिन यह बात सच है कि आस्ट्रेलियंस और केनेडियंस के मुकाबले में हीथो एयर पोर्ट पर भारतवासियों के लिए 30 गुना अधिक रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं। जो चीफ इंस्पेक्टर इंजार्च आफ लन्दन एयरपोर्ट है और जो आज उसके बारे मे खबर छपी है मिस्टर पोटर थोमकिस का उसमें कोटेशन दिया गया है उसमें उन्होंने यह माना है कि——

"It is true that more coloured people are refused entry than the Whites."

तो यह जो डिसक्रिमिनेशन की नीति चल रही है सब से अधिक आपत्ति इस प्रश्न पर है। मैं चाहूंगा कि भारत सरकार इस बात को ज्यादा गम्भीरता के साथ लेकिन कम से कम रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की नीति न चले। विशेषकर इस संदर्भ में क्योंकि कंजरवेटिव पार्टी का शासन जब से आया है उन्होंने अपने तीन मुख्य मुद्दे रखे हैं कंजरवेटिव पार्टी का जो ऐम है मैं उसको पढ़ना चाहूंगा–

"To establish a register of dependents of those settled here and of those dependents who are entitled to be admitted."

उनकी योजना है। अगर इस योजना के संबंध में हमने सावधानी नहीं बरती तो इसका मतलब आगे चल कर कोटा सिस्टम हो जाएगा। भारत सरकार को इसके संबंध में राय बनानी चाहिए। यह रजिस्टर बनाने की उनकी नीति है। उसके संबंध में क्या नीति होनी चाहिए। मेरा आग्रह है कि यह अलग रजिस्टर बनाना, यह डिसक्रिमिनेशन देने वाली बात होगी। इस रजिस्टर का हमें विरोध करना चाहिए। दूसरा उनका है:——

"To stop admission of finances of Indian girls living there. A husband of a resident Indan woman may also be excluded."

यह एक ऐसा प्रश्न है जिसके बारे में हमको अपनी राय बनानी चाहिए और इसका विरोध करना चाहिए। यह डिसक्रिमिनेशन का एक दूसरा चिन्ह होगा। तीसरा जो है, अभी मिनिस्टर साहब ने खुद कहा कि नेशनल्टी ला बनाने की एक योजना विचाराधीन है और हमें इन प्रोविजन्स को बड़ा क्लोजली स्टडी करना चाहिए कि नेशनल्टी लाज

में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के लिए कितनी गुंजाइश है या उसमें भारतीयों को कितना शिकार बनाने की नौबत पैदा होगी । दीज ग्रार दी प्वांइटस जिसको कन्जरवेटिव्स कहते रहे है । कन्जरवेटिव पार्टी के शासन मे ग्राने के बाद जिनके बारे मे ग्रनग्राफीशियल क्वार्टर्स से इन बातों पर जोर दिया जाता रहा है । नेशनल फ्रंट वहां पर कैम्पेन चला रहा है ग्रौर उस कैम्पेन में

They want to deport all coloured British citizens, including progeny of mixed marriages.

यह ग्रास्पेक्ट है मैं समझता हूं जब तक वहां ये करेंटस चल रहे हैं ग्रौर जिन करेंटस का शिकार इंडियन ग्रोरिजिन का व्यक्ति होने वाला है ग्रगर उसमे सरकार ने ग्रभी से कदम न उठाया, ग्रपना रिसेटमेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक्सप्रेस नहीं किया तो फिर साऊथ हाल की कोई घटना हो जाय या हीथ्रो एयरपोर्ट पर वर्जिनिटी का बम फट जाय उसी समय चेतें यह हमारे लिए उपयोगी नहीं होगा, हमारी सरकार के लिए ग्रौर देश की प्रतिष्ठा के लिए उपयुक्त नही होगा । इसलिए मेरा ग्राग्रह है कि ऐसा विस्फोट दुबारा न हो इसके पहले पार्टी इन पावर के जो इन्टेन्शंस हैं उनको मद्देनजर रखते हुए भारत की सरकार को कदम उठाना चाहिए ।

SHRI P. V. NARASIMHA RAO: Sir, with regard to the Register of Dependents mentioned in the Conservative Party manifesto last year, the Government said it will not be taken up.

SHRI SUNDER SINGH BHANDARI: Which Government?

SHRI P. V. NARASIMHA RAO: The British Government. It is true that the trend of new legislation in Britain is more restrictive rather than more liberal. This has to be admitted. Now the point is that this is a matter for legislation. We are very closely studying the various provisions of the legislation that is on the anvil. We have already given an Aide-Memoire showing how this legislation is likely to affect the interests of people of Indian origin and people of other countries. All this has been done. But the legislation has not yet been passed. We are quite vigilant about it

SHRI SUNDER SINGH BHANDARI: What about my other points? About Indian girls living there who...

SHRI P. V. NARASIMHA RAO: The same thing.

SHRI SUNDER SINGH BHANDARI: Is that also a part of the legislation?

SHRI P. V. NARASIMHA RAO: Yes.

SHRI SHRIDHAR WASUDEO DHABE (Maharashtra): Sir, as far back as 1978, Mr. Andrew Young, the US Ambassador to the United Nations, caused anger in Britain some time ago when he accused the British of being the most race-conscious people in the world. This was reported in an article 'Hypocrisy and Race Relations' by Peggy Crane Sir. I will give only two examples and finish. Sir, here is a report published in the Indian Express on the 4th December, 1980. I quote:

> "Of the 6,319 passengers imprisoned at London's detention center, 2,323 were from India, and 1074 and 1004 from Pakistan and Bangladesh.

Sir, this report says that there is more discrimination against the Asians. Sir, I would like to know from the hon. Minister how many persons of Indian origin who wanted to go to England have been detained till today and what relief they have been given? Secondly, there are reports—the hon. Minister has also replied—at one place Rajinder Singh.

[Shri Shridhar Wasudeo Dhabe]

a boy of 15, a Sikh boy, in the month of August was attacked by two white men. They were not traced out. But, Sir, it is very obvious, and the speeches made in the House of Commons, make it clear that behind this there are two organisations, racial organisations, that is, the National Front and British Movement. I will quote only a small portion from speech on 28th November, 1980 which is very serious:

1 P.M.

> "A Labour M.P.. Mr. Stan Thorne, who had asked for an emergency debate said that earlier this week, slogans, swastikas and obscenities had been daubed in bright blue paint on a number of homes owned by Asians.
>
> Mr. Thorne alleged that two windows had been smashed and a large National Front sign was painted on the bonnet of an Asian woman's car. He said that these incidents followed weekend marches by National Front supporters in Bolton and Chorley.
>
> He said that in Preston, Blackburn, Bolton, Chorley and elsewhere Asian women and children feared for their safety. It was extraordinary that police protection at an estimated cost of £ 50,000 should have been provided to the National Front marchers."

This is a very serious thing. It is not connected only with the immigration rules. Therefore, I would like to know from the hon. Minister as to what are the countries against whom this discrimination is made. Is it restricted only to some countries? I would like him to name the countries. Will he give a White Paper on the position as it stands today in order to know what has happened during the six months since the Conservative Government has taken over and what are the restrictions about citizenship which the U. K. is going to enforce? Today's statement is very half-hearted. I do not think the press report about abolition of medical tests on immigrants by U.K. is complete in the Times of India. The White Paper should include all this. I would like to know what reciprocal steps should be taken. It is no use saying that it is an internal matter. If we cannot protect our own people, it is no use chanting the *mantra* of peace, non-violence, like Hari Vithal. It will not do. I would like to know what steps are being taken to protect our people and to see that these immigration rules do not operate for Commonwealth countries.

SHRI P. V. NARASIMHA RAO: I have already said that in the light of what was announced yesterday in the British Parliament, the matter is likely to have some new dimensions and I would be glad to make a statement on the latest situation as it emerges. Now, in regard to matters like retaliatory action. I would appeal to the hon. Members not to think on those lines because as far as we know, the kind of racialism which has been raising its head from time to time in England has been dealt with by the Government there and by and large the British Governments have been taking steps to put it down. In some cases this may not be always easy. It is not possible to book the culprits in all cases. But one thing has to be admitted and that is the British Government have been doing their best and whenever we have brought cases to their notice, they have taken note of the cases brought to their notice by us and have tried to take action as quickly as possible. On that score, our High Commission is also not very much dissatisfied with the performance of the British Government. So, in order to solve this problem, rather than thinking of retaliatory measures we should think in terms of talking to them, discussing with them, finding out what our difficulties are and mobilising public opinion within the country. This is being done in a very effective manner. That would be the right thing to do. It would

not be right to think of retaliatory action. In any case, the Government is very vigilant about it. We are following the developments closely and whenever there is any such discrimination, we are bringing it to their notice. This will have to be the process which will continue. I hope that we will be able to solve the problem to the extent possible within the scope of the new legislation which the British Parliament is considering and the policy which the British Government and the British Parliament might like to continue hereafter. As I have said earlier, it is going to be more restrictive; their laws are going to be more restrictive for various reasons. It is not merely a question of discrimination. There are very many reasons why not only Britain but many other countries are also restricting the scope of immigration by their laws. This is a common experience. So, to the extent possible how far we can help persons of Indian origin under these circumstances is what we have to address ourselves to, and this is what we are trying to do.

SHRI SHRIDHAR WASUDEO DHABE: My question was about discrimination...

SHRI P. V. NARASIMHA RAO: I have told you...

SHRI SHRIDHAR WASUDEO DHABE: My question was whether the Asian countries have been discriminated against...

SHRI P. V. NARASIMHA RAO: As I said already, this discrimination is on racial grounds. I have no break up of how many Indians, how many Pakistanis, how many Bangladesh...

SHRI SHRIDHAR WASUDEO DHABE: Between the countries.

SHRI P. V. NARASIMHA RAO: What I am saying is that this discrimination is on the basis of colour and race. Therefore, all the other countries. the Asian countries, are included in it. And within those countries. I do not think that there is more discrimination against one country and less against the others. It is not like that.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri Jha.

श्री शिव चन्द्र झा (बिहार) : उपसभापति जी, बहुत दुख की बात है कि एक तरफ भारतीयों के साथ इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन की नीति अख्तियार की जाती है ब्रिटेन में और दूसरी तरफ हमारे विदेश मंत्री और सारी सरकार वहां के प्रिन्स चार्ल्स को सिर पर उठा कर सारे हिन्दुस्तान में घुमाते हैं। उधर डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है और यहां ब्रिटेन के आदमी को, चाहे कोई भी हो, उसको सर आंखों पर चढ़ा रहे हैं। बड़ी हैरानी है इनकी नीति पर। अब मैं साफ शब्दों में सवाल करना चाहता हूं।

मेरा पहला सवाल है कि अब तक डिस्क्रिमिनेशन के कितने केसेज आपके सामने आए हैं ? यदि सम टोटल शुरु से बता दें तो बड़ी अच्छी बात है नहीं तो जब से आप ने बागडोर संभाली है, आपने चार्ज लिया है, यानी जनवरी से कितने डिस्क्रिमिनेशन के केसेज आप के सामने आए और किस नेचर के थे ? इन सबों पर कितनों पर आपने प्रोटेस्ट किया है, और आपका अर्लियेस्ट प्रोटेस्ट किस तारीख को, किस वक्त था ? लेटेस्ट कब का है ?

दूसरा सवाल यह है, जैसा कि खुद मंत्री महोदय ने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि नया लेजिस्लेशन, नेशनलिटी ला का— could adversely affect persons of Indian origin. अभी जो हो रहा है, जो कि एनविल पर

[श्री शिव चन्द्र झा]

है—नया नेशनल ला—यह मानता हूं कि हमको यह एडवर्सली अफैक्ट करेगा लेकिन फिर भी जो इन का जवाब हो रहा है कि हम कोई बातचीत करेंगे यह सब ठीक है, लल्लोचप्पो की बातें हैं। क्या इस तरह का ला पास हो जाएगा या इस तरह की नीति चलती रहेगी ? आप दृढ़ता से और फाइनल निर्णय इस पर लेंगे कि नहीं ?

उसी से सबंधित तीसरा सवाल है कि यदि ब्रिटेन इसी तरह की नीति अख्तियार करता रहे, भारतीयों के साथ लगातार डिस्क्रिमिनेशन अख्तियार करता रहे, तो क्या आप फाइनल निर्णय लेंगे कामनवेल्थ छोड़ने का ? मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि केनेडा ने इधर ऐलान कर दिया है कामनवेल्थ छोड़ने का, उसका मुद्दा कोई दूसरा है, लेकिन केनेडा ने ब्रिटेन से कह दिया है कि अपना रवैया नहीं बदलोगे तो हम कामनवेल्थ छोड़ देंगे, अपना रिपब्लिक अनाउन्स कर देंगे।

श्री उपसभापति : रिपब्लिक पहले से ही था भाई। आप यह क्या कह रहे हैं ?

श्री शिव चन्द्र झा : मैं कहता हूं, यह नीति उनकी चलती रही तो भारत कामनवेल्थ से निकलेगा या नहीं ? निकल जाना चाहिए। इसमें आपको क्या ऐतराज है। ये तीन सवाल हैं मेरे, आप कैसे घबरा रहे थे।

श्री उपसभापति : बहुत धन्यवाद।

SHRI P. V. NARASIMHA RAO: Sir, I have already said that whenever instances of discrimination are brought to the notice of the British Government by our High Commissions, they generally take action. In some cases action could not perhaps be taken because of various reasons But I do not have the figures of how many cases have been brought to their notice.

श्री शिव चन्द्र झा : उपसभापति महोदय, हाई कमीशन के यहां रेकार्ड हो सकता है।

SHRI P. V. NARASIMHA RAO: This is a continuous process that goes on. If hon. Members want these figures I could get the figures. But the instances in their very nature are something which go on every day. Whenever a matter comes to our notice we bring it to their notice. How is it possible to keep track of all these things and give the total number of cases that have been represented to them.?

श्री शिव चन्द्र झा : जब से आप ने चार्ज लिया है।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : मैं यही कह रहा हूं कि जब कभी हमारे देखने में कोई बात आती है तो हमारे हाई कमिश्नर उन से कह देते हैं, उस पर एक्शन लिया जाता है। कहीं नहीं भी हो सकता है।

श्री शिव चन्द्र झा : उपसभापति महोदय, पोइन्ट आफ आर्डर।

श्री उपसभापति : आपने सवाल पूछा, जवाब सुनिये। अब पोइन्ट आफ आर्डर भी रेज करेंगे। उन्होंने कह दिया कि उनके पास जानकारी नहीं है।

श्री शिव चन्द्र झा : नोटिस आफिस में जो हम लिख कर देते हैं उस का रेकार्ड रखा जाता है।

श्री उपसभापति : वहां रोजमर्रा होता है।

श्री शिव चन्द्र झा : हाई कमीशन में केस आता है, क्या वहां रेकार्ड नहीं होता है, क्या वहां लिस्ट नहीं होती है

ग्रौर यदि नहीं होती है तो ग्रौर भी दुख की बात है । वहां जरुर लिस्ट होगी ।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : यह मुझे बिलकुल पता नहीं है कि जब कोई चीज उन के ध्यान में लायी जाती है तब क्या रेकार्ड हमारे पास रहता है । डिस्क्रिमिनेशन की बात हुई, वहीं कह दिया, वहां एक्शन ले लिया गया । उस के ऊपर हम कोई पत्राचार करते हैं, कोई रजिस्ट्रेशन होता है ? ये मामले ही ऐसे हैं जिस में ग्रांकड़े नहीं रखे जा सकते । लेकिन फिर भी मैं पता करूंगा ग्रौर ग्रगर ग्रांकड़े कुछ ऐसे हैं तो मंगाने की कोशिश करूंगा ।

इस के बाद माननीय सदस्य फाइनल डिसीजन की बात करते हैं । मैं यही कहना चाहता हूं कि इस में फाइनल डिसीजन जैसी कोई चीज होती नहीं । एक कानून वे लोग बना रहे हैं । उस का ग्रसर हमारे लोगों पर हो रहा है, इस के बारे में हम ने उनका ध्यान ग्राकर्षित किया, उन से कहा कि यह चीज होनी नहीं चाहिए । कानून ग्रभी बना नहीं है, कानून बनेगा ग्रौर उस का बहुत बुरा ग्रसर होगा तो उस के बारे में क्या करें यह हमें सोचना है । लेकिन ग्रभी यह कहना कि हम कामनवेल्थ में नहीं रहेंगे या इसी वक्त धमकी देंगे या ग्रल्टीमेटम देंगे, मैं समझता हूं कि यह बहुत ही प्रिमेच्योर चीज हो जायेगी । हम इतना ही कहना चाहते हैं कि हम सतर्क हैं, उस में जो प्रावधान हैं उन के बारे में सोच रहे हैं ग्रौर उन से कह रहे हैं । पहले एक मेमोयर दे चुके हैं हमारी जो प्रतिक्रिया है वह स्पष्ट रुप से दे चुके हैं । इस को ग्रागे बढ़ा रहे हैं. परसू कर रहे हैं, यही मैं कहना चाहता हूं ।

श्री शिव चन्द्र झा : फिर चार्ल्स का इतना स्वागत क्यों किया ?

श्री उपसभापति : उस का उत्तर देने की जरूरत नहीं है ।

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही (उत्तर प्रदेश) : मंत्री जी ने कहा कि इमीग्रेशन उन का इनटरनल मामला है । यह हर मुल्क के लिए होता है, इस में कोई खास बात नहीं है । लेकिन सवाल रेशियलिज्म का है जिस पर दक्षिण ग्रफ्रीका से लड़ाई शुरू हुई । हम इमीग्रेशन को ज्यादा महत्व नहीं देते, वे ग्रपने यहां किसी को जाने दें, ग्राने दें, न ग्राने दें, यह बिलकुल शुद्ध उन का ग्रन्दरूनी मामला है जो चाहें करें । लेकिन जो लोग वहां इंडियन ग्रोरिजिन के बसे हुए हैं उन के साथ वह कैसा व्यवहार करें, यह उन का ग्रन्दरूनी मामला, मंत्री जी, नहीं है । यह कामिटी ग्राफ नेशन्स का मामला है, ग्रन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार का मामला है ग्रौर इस वक्त इसे हम उन का ग्रन्दरूनी मामला नहीं समझते जिस तरह से ग्रपने मुल्क के ग्रन्दर माइनारिटीज के साथ व्यवहार भी ग्राज ग्रन्दरूनी मामला नही रह गया है । ये मामले हमेशा ग्रन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर समझे जाते है ग्रौर उन पर ग्रन्तर्राष्ट्रीय नियम ग्रौर कानून लागू होते है । ग्रन्तर्राष्ट्रीय संस्थाग्रों ने उन पर व्यापक नियम बनाये हुए हैं ग्रौर उन से वह गवर्न होते हैं । ग्रगर साउथ ग्रफ्रीका का रेशियलिज्म बुरा है तो ब्रिटेन के ग्रन्दर का भी बुरा है । ग्रौर हम को ग्रपने दिमाग से यह बात निकाल देनी चाहिए कि हम चूंकि रंग से काले हैं या भूरे हैं इस लिये हम गोरे लोगों से इंफीरियर हैं । इस में दो चीजों को महत्व देना होगा । एक तो यह कि रेशलिज्म के साथ साथ किन्हीं कन्सीडरेशन्स के ग्राधार पर हम कामनवैल्थ के ग्रंदर है ग्रौर कामनवैल्थ के जो कंट्रीज है उन का ग्रपने सिटीजन्ज के साथ क्या व्यवहार होगा इस के भी कुछ नियम हैं, कुछ स्तर है । उस का भी इवैलुयेशन हो रहा है । रेशलिज्म के साथ साथ कामन वैल्थ के कंट्रीज में ग्रापस

[श्री नागेश्वर प्रासाद शाही]

में लोगों के साथ कैसा व्यवहार हो रहा है आज चिन्ता का विषय है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि मिसेज थेचर जब तैयारी कर रहीं थी प्रधान मंत्री बनने की उस समय भी उन की स्पीचेज को भी हमारे विदेश मंत्री जी गौर करें। उस समय भी जब वह प्रधान मंत्री नहीं बनी थीं उस समय वह वहां के उन ग्रुप्स को जो वहां रेशलिज्म की प्रेक्टिस कर रहे थे, जो रेशलिज्म को प्रीच कर रहे थे, उस को शह दे रहे थे और उस समय जो सरकार की नीति थी इम्मीग्रेशन के बारे में उस का विरोध कर रहे थे उन को प्रोत्साहित कर रहीं थीं और उन्होंने शायद अपने इलेक्शन मैनीफेस्टो में भी इस का कुछ जिक्र किया है। तो इस परस्पेक्टिव में आप देखिये और जहां तक मुझे मालूम है, प्रधान मंत्री होने के बाद वह जरूर थोड़ा मुलायम हो गयीं, लेकिन उस के पहले वह इंकेरेज करती थी उन ग्रुप्स को जो नान-व्हाइट्स को परेशान करते थे, जो नान-व्हाइटस की बस्तियों पर हमला करते थे...

श्री उपसभापति : अब प्रश्न पूछिये सब बातें आ गयी हैं।

श्री अरविन्द गणेश कुलकर्णी (महाराष्ट्र): सब आ गया है।

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : जब दूसरों की बात आती है तो सब आ जाता है।

श्री अरविन्द गणेश कुलकर्णी : घासी राम कोतवाल को उन्होंने क्या कर दिया। Britishers had lost their head...... (*Interruptions*).

SHRI NAGESHWAR PRASAD SHAHI: This is not a thing.

मैं तो इस राय का हूं कि असम्मानित होने के लिये क्यों कोई ब्रिटेन जाता है। मैं तो परेशान उन के लिये हूं कि जो वहां जा.कर परेशान होते हैं।

श्री अरविन्द गणेश कुलकर्णी : प्रिंस चार्ल्स यहा आ कर गया। कोई बात बोला क्या? यह क्या प्रिंस है?

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इस परस्पेक्टिव में क्या वह मजबूती के साथ इस बात को कहेंगे और अगर ब्रिटेन इस पर नहीं राजी होता तो क्या यूनाइटेड नेशन्स में इस मामले को एजीटेट करेंगे कि ब्रिटेन में भी इस तरह का रेशलिज्म वहां की गवर्नमेंट के जरिये प्रेक्टिस हो रहा है जैसा कि साउथ अफ्रीका में स्मिथ की सरकार करती है। और दूसरी चीज यह है कि हमारे दिमाग में जो गुलामी भरी है उस को भी हमें दूर करना है और वह गुलामी यह कि ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर आये तब तो हम रिसेप्शन दें यह बात समझ में आती है, लेकिन हम अपने देश में इस तरह की चीजें देखते हैं कि प्रिंस यहां आते है। प्रिंस कोई हैड आफ दि स्टेट नही। प्रिंस को जैसा यहां स्वागत देते हैं वह तो यह समझते हैं कि ये काले लोग हैं, हमको अब भी अपना मास्टर समझते हैं, उनके दिमाग में यह भावना है कि हम हिन्दुस्तान पर राज कर चुके हैं। एक सुपीरियरिटी की भावना उनके दिमाग में है। तो उस चीज को क्या हम अपने दिमाग से इनफीरियरिटी को निकालने और उनके दिमाग से सुपीरियरिटी को निकालने के लिए कुछ सोच रह हैं ताकि आपके नागरिकों के साथ वहां ऐसा व्यवहार न हो?

श्री पी० वी० नरसिंह राव : श्रीमन्, यह जो रेसिज्म के बारे में कहा गया है, मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं कि रेसिज्म कोई अंदरूनी मामला नहीं है, उसके बारे में सब को ऐजिटेट करने का अधिकार है और इसीलिए जहां तक रेसिज्म का सम्बध है वहां कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो रेसिज्म के विरोध

में काम करती हैं। एक दो ऐसे संगठन हैं जो रेसिस्ट हैं, लेकिन जैसा मैंने अपने वक्तव्य में पढ़ा है, उनकी ताकत कम है और रेसिज्म की विरोधी जो संस्थायें है उनकी ताकत बहुत ज्यादा है और जहां तक मैं जानता हूं वहां की सरकार भी रेसिज्म के खिलाफ काम करती है, काम करने की कोशिश करती है। इसके बावजूद कभी कभी ऐसी वारदातें हो जाती हैं। . . . *(Interruptions)*

आपने स्वयं कहा कि प्रधान मंत्री बनने के बाद वह नरम पड़ गई। अब वह पुरानी बात क्यों लाते हैं? अब जो स्थिति है उस पर विचार कीजिए। अब जो वहां की गवर्नमेंट की नीति है उसके बारे में यह नहीं कहा जा सकता कि वह रेसिज्म को प्रोत्साहन देने वाली है? हो सकता है, उसका विरोध करने में, उसकी रोकथाम करने में पूरी कामयाबी कभी कभी न हो, यह अलग बात है, लेकिन उस गवर्नमेंट की नीति को हम रेसिस्ट नहीं कह सकते। यह मेरा निवेदन है।

SHRI SHRIDHAR WASUDEO DHABE: But the British legislation is otherwise.

SHRI P. V. NARASIMHA RAO: Mr. Shahi has tried to distinguish between the racism part of it and the immigration part of it, rather the legislation part of it.

लेकिन उसमें होता यह है कि उस लेजिस्लेशन से हमारे लोगों पर कुछ असर पड़ता है और उस हद तक तो हमको कहना ही पड़ता है कि आप कानून बना सकते हैं, आपको कानून बनाने का हक है लेकिन आपके बनाये हुए कानूनों का प्रभाव हमारे लोगों पर, इंडियन ओरिजन के लोगों पर पड़ता हो तो कृपया ऐसा न कीजिए क्योंकि इससे हमारे सम्बन्ध बिगड़ जायेंगे। यह हम उनसे कह रहे हैं और कहते जायेंगे और उसके बारे में जो भी कार्यवाही करनी होगी उसको हम जरूर परस्यू करेंगे। यह मैं आपसे कहना चाहता हूं।

अब रही बात प्रिंस चार्ल्स की। मैं तो सबसे पहले यह कहना चाहता हूं कि उनको निमंत्रण दिया था 1978 में। दो साल पहले के निमंत्रण पर वह आज आये हैं। . . . *(Interruptions)*

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : आप अटल बिहारी वाजपेयी में फर्क नहीं कर रहे हैं?

श्री पी० वी० नरसिंह राव : इसको हम प्रोटोकाल के हिसाब से लें। ऐसा न समझें कि हम किसी को लाकर अपने सिर पर बैठा रहे हैं। प्रोटोकाल के हिसाब से वह वाइस प्रेसिडेंट के बराबर माने जाते हैं और यही हुआ है और इसी तरह से उनका स्वागत किया गया है। उससे ज्यादा कुछ नहीं किया गया है। इसमें गुलामी का कोई सवाल नहीं है, और किसी का कोई सवाल नहीं है। मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि जितना हमसे हो सकता है उतना हम करेंगे।

श्री अरविन्द गणेश कुलकर्णी : घासीराम कोतवाल के बारे में क्या कर रहे हैं?

श्री पी० वी० नरसिंह राव : घासीराम कोतवाल के बारे में जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स खोलकर देखने की कोशिश की गई, उसके बारे में हमारे पास एक रिपोर्ट ऐसी आई है कि उनके पास गुप्त रूप से ऐसी रिपोर्ट आई थीं कि इसमें कोई ऐसी चीज ये छिपाकर ला रहे हैं जो कॉन्ट्राबैन्ड है। लेकिन इसको मैं सही नहीं मान रहा हूं। . . . *(Interruptions)* । सुनिये. . Please listen. I am not taking it as gospel truth. I am only saying what they told us.

लेकिन एक उज्र उन्होंने जो किया है वह उज्र यह था कि जहां से वह लोग आ

[श्री पी० वी० नरसिंह राव]

रहे थे वहीं से एक रिपोर्ट ब्रिटिश अधिकारियों को मिली। इसलिए उनका सर्च किया। यह हम मानते नहीं है। जो कुछ हमने कहना था कह दिया, जो कुछ प्रोटेस्ट करना था कर दिया। आपने उठाई बात इसलिए उनकी तरफ से जो उज्र था यह मैने कह दिया है।

SHRI R. RAMAKRISHNAN (Tamil Nadu): Mr. Deputy Chairman, Sir, I would like to draw the attention of the hon. Minister to the latter portion of his statement where he has said about the business travellers or the tourists that the Government was taking necessary steps.

I would just like to pose one problem before him. The British Government does not give visas to all the people. They say, if you have a return ticket then only they would allow you to land at the Heathrow Airport and give the entry permit. But to some people they give the permit here itself. They are not having a proper or a uniform procedure. The genuine tourists are put to all sorts of difficulties. I am telling you this on the basis of the past historical experience. The British officers view every Indian with suspicion and ask all sorts of questions, where you are staying and all that. Will the External Affairs Minister take up this matter with the British Government so that some sort of visa could be issued and no harassment is caused to the genuine tourists? This could be taken up at the Government level.

SHRI P. V. NARASIMHA RAO: There is no system of visa to Britain.

SHRI R. RAMAKRISHNAN: Can you not think of that?

SHRI P. V. NARASIMHA RAO: That is a much wider question. In fact, that would be counter-productive in many ways. If you start the visa, it will become much more difficult. In fact, we will have to solve the problems as they arise and that is what is being done.

SHRI M. KALYANASUNDARAM (Tamil Nadu): Sir, there are two aspects of this problem. One is the immigration laws of that country and the behaviour of the immigration authorities. The second aspect of this problem is the racist attack on the Asians and Indian citizens and there is no safety for the citizens. Several complaints have been received. Children of many families known to me are there. Workers are there. Formerly, Sir, during the British rule in India, Indians of upper strata used to go their for studies. Now who are the people going there? Leave alone the business community; I do not think we have come across any Indians of the business community being harassed in Britain...

AN HON. MEMBER: There are.

SHRI M. KALYANASUNDARAM: May be, but they know how to overcome it. The workers working in factories, the domestic servants and those who are doing petty jobs are the people affected. They have no safety there. And I do understand the difficulty of our Government. Our External Affairs Minister, no doubt, will feel the same as we are feeling, although for the sake of diplomatic etiquette he might have used a moderate language. He himself has said that our High Commissioner is not very much dissatisfied. That means, dissatisfaction is there; it is implied. He has already in the short tenure as External Affairs Minister won the admiration for his performance in the international forums. I would just ask him: Will that Government understand this language? After all, who are the people suffering there? And let us compare. We have fought against the British regime for 90 years in this country. Even at the peak of our freedom struggle in 1942 or 1946 white men were walking in the streets of Bombay, Delhi, Madras or Calcutta. No white man was killed. We did not hate the British people. We

opposed them, not because they are white, but they exploited us. That is our tradition. Our tradition is one of solving the problems peacefully. I do not suggest that there should be retaliation. Retaliation in what form? But then how to tackle this problem? Nobody is suggesting that you should send our army. No, that is not the method. But the Thatcher Government cannot understand this language. There are forces let loose because there is a feeling—just like the Shiv Sena feel—that the job opportunities are taken away by these people. That is the suffering of those people who went there because they did not have the opportunity of earning a living there. So many Indians were suffering in this country under British Rule because of the preference given to the Anglo-Indian community. But we did not hit them. Even today we are giving them all the privileges that are due to any Indian community. So it is a matter to be taken up at the Commonwealth Conference. Both the Foreign Ministers must meet and discuss this problem. Our Foreign Minister cannot go and organise public opinion in Great Britain, although to some extent it is possible through the High Commissions. Our High Commission must be strengthened. I do not know what problems our High Commission is facing. But I would suggest that it should be taken up at a higher level—at the Commonwealth Conference and also at Foreign Minister's level. This House also should have full opportunity to voice our feelings so that the British Parliament also hears how we feel about it. Otherwise, if they proceed with the legislation that is under consideration now, what will happen? Both the Houses in one voice must tell the British Government and the British Parliament about it. As he has promised another opportunity, we shall take advantage of that to do this.

SHRI P. V. NARASIMHA RAO: It will be appreciated that the very sentiments that are being expressed in our Houses of Parliament here are being expressed in the House of Commons also—in their Parliament also. So, so far as the approach to this problem is concerned, there is similarity between the two Parliaments. Where there are violations, where there are certain bodies which are wedded to violence and racism, it is the duty of the British Government to put them down, to deal with them effectively, which, we believe, they are doing, and we are trying to see that such acts are put down whenever and wherever they occur. That is all that could be done.

In regard to the suggestion given by the hon. Member that this should be taken up at the Commonwealth level, on the face of it, it appears to be a good proposition. We will examine it.

SHRI P. RAMAMURTI (Tamil Nadu): Sir. it is a very delicate question. I do not know if the hon. Minister knows that the biggest organisation of Indian origin working in Great Britain is the Indian Workers' Association. It is a voluntary organisation and it has been taking up specific cases of discrimination, maltreatment, ill-treatment of people of Indian origin with the Home Office. I have got a number of cases, but I do not want to refer to all the cases. so an example, I will give you one case.

SHRI M. KALYANASUNDARAM: The victims are afraid of making complaints.

SHRI P. RAMAMURTI: The Indian Workers' Association is taking up these things. They have been sending these cases from time to time. One of the complaints is about Shri Malvinder Singh. His father is living in Britain. He is an employee there. He sent his son here for some time. Now he has got a court order in India that the custody of the son must vest in him and not with anybody else. Even when that court order was also produced there, they have refused permission vide Home Office's letter dated 6th June 1980.

[Shri P. Ramamurti]

After an appeal was submitted, the Home Office said that they had examined the request and the decision remained. They would communicate the reasons later on. And later on, what has been stated? Later on, it has been stated that it is not proved that the responsibility for the upkeep of the son is exclusively that of the father. It is a very strange argument. It has not been proved that the responsibility for the upkeep of the son is that of the father; there may be other relations on whom he can rely. This is the sort of thing that is taking place. I am giving only one case. The point is, the Indian Workers Association brings many of these things to the notice of the Indian High Commission and the Indian High Commission takes no notice of these. This is the charge that I want to bring. The Indian High Commission has not got even the courtesy to reply to a voluntary organisation of Indian workers which is probably the biggest organisation of the Indians there which, on its own, takes up the problems with the Home Office. and where it does not get a proper solution it refers them to the Indian High Commission and the Indian High Commission there does not even answer them. So, will you please instruct the Indian High Commission to take this voluntary organisation seriously and see to it that the cases they refer to them are taken up with the British Home Office so that the problems are solved?

SHRI P. V. NARASIMHA RAO: Sir, the information given by the hon. Member is evidently at variance with my own information. The Indian High Commission is busy. is very vigilant in these matters and whenever matters come to its notice it takes up the cases with the British Government. with the relevant authorities. But, if in any case there has been some kind of omission on the part of the Indian High Commission, I take the information and I will also generally find out if the Indian High Commission is in touch with these organisations—which, I am told, it is. My information is that the Indian High Commission always keeps in touch with these organisations of immigrants. workers, etc. This is my information, but if in any case there is an omission, we will look into it.

REFERENCE TO THE REPORTED CANCELLATION OF THE INAUGURAL FUNCTION OF THE INDIAN VETERINARY RESEARCH INSTITUTE, IZATNAGAR FOR OPENING A VACCINE CENTRE AT BANGALORE

DR. BHAI MAHAVIR (Madhya Pradesh): Sir, the other day a colleague of mine raised the question of some members of a political party meeting President Brezhnev on the occasion of his last visit to India. He had asked about the propriety of it. but today I am referring to another type of propriety, and that involves Government officers. It is not a question of members of a political party but Government officials and how they began to act in a manner in which visiting Heads of State or Heads of Government are involved, and that raises certain issues which, in my opinion, are as important as what my friend was trying to point out that day.

I have, Sir. a specific instance in which the Director of the Indian Veterinary Research Institute at Izatnagar issued an invitation, the cards were sent for the inauguration function of a vaccination centre at Bangalore on the 5th of November, 1980. The card says that the vaccination centre was to be inaugurated by Mr. Ingmar Jorgenson, Prime Minister of Denmark. The cards were issued in the name of Dr. P. Madhusudan, Senior Scientist—I do not know about his position in the hierarchy of the Institute. One week before the date of the programme. letters were issued informing cancellation of the function and giving no reason—though expressing regret for the inconvenience caused. I have, Sir, the card as well